

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(8)नविवि/2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक:- यथा हस्ताक्षरित

—:आदेश:—

विकास प्रोत्साहन एवं नियन्त्रण उपविधियां (DPCR) में किसी उपयोग को शामिल करने अथवा हटाने, किसी तकनीकी प्रावधान में संशोधन करने अथवा किसी प्रकरण विशेष में किसी प्रावधान में शिथिलता देने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया जाता है:-

- | | |
|--|------------|
| 1- प्रभारी सचिव, नगरीय विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान | सदस्य |
| 3- मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर) | सदस्य |
| 4- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग | सदस्य |
| 5- नगरीय विकास विभाग में पदस्थापित वरिष्ठतम नगर नियोजक | सदस्य सचिव |

उक्त समिति की अभिशंषा के अनुरूप तदनुसार सक्षम अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार के स्तर से स्वीकृति प्रदत्त करने हेतु विचार किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त-----।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
12. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव— प्रथम